

13/10/16

वकील प्रायोगिक एवं स्वयं प्रायोगिक अनुपरिष्ठा 18 प्रायोगिक  
19(1) से 19(3) के वकील उपस्थित। प्रायोगिक 11 से 16 की  
तलबी के लिए अदाकारी तलबान सम्मत दिनांक 12/11/12 से समय  
दिये जाते हैं बावजूद आदिनांक तलबान अदा नहीं किया है।  
वकील प्रायोगिक एवं स्वयं प्रायोगिक को इजलास उठने तक आवेदन  
लावाइ गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया अतः अपत्र प्रवेश  
9 निपट 2 जा.दी. के प्रावधानानुसार एवं अदम पेशी अक्र  
तकनीक से खारिज किया जाता है। मिलाव फसल शुमार  
होकर नम्बर से कम है। बाढ़ वफर दाखिल हो

उपखण्ड अधिकारी  
मसूदा (अनपे)

